दिनांक 14.07.2018 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में बामेती परिसर, पटना के सभाकक्ष में आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी में संधारित

सर्वप्रथम निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार द्वारा बताया गया कि बिहार के लगभग सभी जिलों में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। अभी की स्थिति में डीजल अनुदान वितरण की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा भी इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बतलायी जा रही है। डीजल अनुदान वितरण की योजना स्वीकृत हो गई है। आज की बैठक में ऑन लाईन डीजल वितरण हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन पर विशेष चर्चा की जायेगी।

बैठक की कार्यवाही :–

1. बीज योजना :–

1.1 उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, खरीफ, 2018 हेतु धान बीज वितरण का कुल लक्ष्य 5085.36 क्वीं0 के विरूद्ध अभी तक 4745.52 क्वीं0 बीज बी0आर0बी0एन0 द्वारा जिलों में उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें 4489.54 क्वीं0 धान बीज कृषकों के बीच वितरित की गई है। सूचित किया गया कि नालन्दा, सिवान एवं मधेपुरा जिला से प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि उनके जिला में 40.80 क्वीं0 धान बीज का वितरण हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान एवं मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उनके जिला में शत–प्रतिशत धान बीज का वितरण हो गया है। बैठक में बताया गया कि अरहर बीज बी0आर0बी0एन0 के पास उपलब्ध नहीं है। बी0आर0बी0एन0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अरहर बीज आ रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी अरहर बीज का आरक्षण अभी से करा सकते है।

1.2 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि धान का मिनीकीट बीज वितरण योजना, खरीफ, 2018 अन्तर्गत कुल भौतिक लक्ष्य 18000 क्वीं0 के विरूद्ध अभी तक 15016.84 क्वीं0 की उपलब्धि हुई है। मधेपुरा, नालन्दा एवं जहानाबाद से प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि धान के मिनीकीट बीज का जिला का लक्ष्य 780 क्वीं0 के विरूद्ध 591.60 क्वीं0 बीज प्राप्त हुआ था जिसका कृषकों के बीच वितरण हो चुका है। जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि 1100 क्वीं0 लक्ष्य के विरूद्ध 413 क्वीं0 बीज का वितरण किया गया है।

1.3 आधार बीज पर अनुदान योजना, खरीफ, 2018 अन्तर्गत धान बीज का कुल लक्ष्य 4489.00 क्वीं0 के विरूद्ध 293.49 क्वीं0 धान बीज का वितरण हुआ है, जो लक्ष्य से बहुत कम है। अभी तक मात्र भोजपुर, बक्सर, रोहतास, शेखपुरा, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण एवं किशनगंज में आधार बीज का वितरण हुआ है। शेष जिलों की उपलब्धि शून्य है। जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलम्ब बीज मंगवाकर कृषकों के बीज वितरित करने तथा उप निदेशक (शष्य) बीज को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।

1.4 सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टींग मेटेरियल अन्तर्गत बीज ग्राम योजना, खरीफ, 2018 में धान बीज वितरण का कुल लक्ष्य 18108 क्वीं0 के विरूद्ध अभी तक कुल 9738.74 क्वीं0 बीज बी0आर0बी0एन0 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 9681.3 क्वीं0 बीज कृषकों के बीच वितरित किया गया है। उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा बताया गया कि इस योजना का प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा, औरंगाबाद, सिवान, मधेपुरा एवं पूर्णिया द्वारा गुगल डॉक पर लोड

नहीं किया गया है, जिसे मुख्यालय लौटेते ही अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन अपलोड करने हेतु निदेश दिया गया।

1.5 हरी खाद योजना गरमा, 2018 अन्तर्गत मूंग बीज वितरण सम्बंधी प्रतिवेदन अभी तक नालन्दा, कैमूर, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधेपुरा से अप्राप्त है तथा बक्सर एवं बेगूसराय की उपलब्धि शून्य है। ढैंचा बीज वितरण सम्बंधी प्रतिवेदन नालन्दा, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं मधेपुरा से अप्राप्त है तथा जहानाबाद, मुंगेर, जमुई, सारण एवं गोपालगंज की उपलब्धि शून्य है। इस सम्बंध में सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारियों तथा उप निदेशक (शष्य) बीज को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कैमूर एवं शेखपुरा में ढैंचा बीज अभी भी अवशेष है। इसे शीघ्र वितरित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0– कंडिका 1.1 से 1.5–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्य) बीज)

2. <u>डीजल अनुदान के लिए डी0बी0टी0 प्रक्रिया</u> :–

2.1 प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों, सहज/Common Service Centre(CSC) के जिला स्तर के नोडल पदाधिकारी/जिलों से आये कम्प्यूटर ऑपरेटरों को डीजल अनुदान के लिए डी0बी0टी0 प्रक्रिया हेतु तैयार किये गये नये सॉफ्टवेयर एवं ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की विस्तृत जानकारी दी गई।

निदेश दिया गया कि ई–किसान भवन में जहाँ कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा दे दी गई है, वहाँ सहज/बसुधा/CSC के कर्मचारी बैठेंगे तथा डीजल अनुदान हेतु कृषकों का ऑन लाईन आवेदन पत्र भरकर जमा करेंगे। बताया गया कि सर्वप्रथम किसान का निबंधन कराना आवश्यक है। बगैर ऑन लाईन निबंधन के डीजल अनुदान का आवेदन पत्र जमा नहीं होगा। जिन किसानों का पूर्व में निबंधन हो चुका है वे ऑन लाईन आवेदन जमा कर सकते है। इसके लिए आधार नम्बर एवं आधार न0 से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है। अगर बैंक खाता आधार नं0 से लिंक नहीं होगा तो उनके खाता में अनुदान की राशि नहीं जाएगी।

2.2 विस्तृत चर्चा के बाद डी0बी0टी0 के परामर्शी को सॉफ्टवेयर में रसीद सं0 तथा तिथि के कॉलम को टेक्स्ट कॉलम करने तथा उसमें और अधिक Space देने का निदेश दिया गया।

(अनु0–परामर्शी, डी0बी0टी0)

2.3 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे पंचायतवार कृषकों के आवेदन पत्र का सत्यापन करायेंगे। सत्यापन कार्य कृषि समन्वयक द्वारा किया जायेगा। यदि कृषि समन्वयक कार्यरत नहीं हो तो प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ए0टी0एम0/बी0टी0एम0 से सत्यापन करायेंगे। यदि इन सबों में से कोई भी कर्मी उपलब्ध नहीं हो तो किसान सलाहकार से सत्यापन कार्य करायेंगे।

2.4 सूचित किया गया कि सभी 8405 पंचायतों के लिए User I.D. एवं Password Create कर के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भेज दिया जायेगा। नया User I.D एवं Password बना लेंगे तथा मोबाईल न0 अपडेट करेंगे। इस मोबाईल नं0 पर OTP आयेगा।

2.5 निदेश दिया गया कि पटना, वैशाली, नालन्दा, सुपौल, कैमूर, समस्तीपुर एवं शेखपुरा दिनांक 16.07.2018 को तथा शेष सभी जिला दिनांक 17.07.2018 को अपने जिला में इस सॉफ्टवेयर की जानकारी देने हेतु अपने प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, ए0टी0एम0, बी0टी0एम0, किसान सलाहकार की बैठक करेंगे। सहज/ Common Service Centre के प्रतिनिधि भी इस बैठक में भाग लेंगे। यदि किसी को कोई तकनीकी समस्या हो या अन्य कोई जानकारी लेनी हो तो email id- "dbtcellagri@gmail.com" पर मेल करेंगे। निदेश दिया गया कि किसानों के निबंधन के लिए Common Service Centre के प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार से मो0 नं0

7488048547 पर तथा सहज के प्रतिनिधि श्री नवेद असलम से मो0 नं0–9771435611 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

2.6 प्रधान सचिव, कृषि द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 17.07.2018 तक डीजल अनुदान हेतु जितना भी आवेदन प्राप्त हो उसका दिनांक 18.07.2018 तक कृषि समन्वयक एवं जिला कृषि पदाधिकारी से सत्यापन कराकर मुख्यालय को भेज दें, ताकि दिनांक 20.07.2018 तक कृषकों को बैंक से अनुदान की राशि का भुगतान कराया जा सके।

(अनु0–कंडिका 2.1 से 2.6– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. <u>वर्षापात :–</u> खरीफ, 2018 में वर्षापात की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लगभग सभी जिलों में वर्षापात की स्थिति अच्छी नहीं है। 18 जिलों का वर्षापात (–) 50 प्रतिशत से भी अधिक है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन 11.00 बजे पूर्वाहन तक प्रखण्डवार वर्षापात प्रतिवेदन सांख्यिकी कोषांग को उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4. <u>आकस्मिक फसल योजना :–</u>

जुलाई के अन्त तक यदि वर्षा नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक फसल योजना पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को आकस्मिक फसल योजना हेतु अपना बीज की आवश्यकता का आकलन कर फसलवार/प्रभेदवार बीज की मांग दिनांक 16.07.2018 तक भेज देने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. <u>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–</u>

5.1 प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा बताया गया कि धान हेतु 15 जिला आच्छादित है, जिसके अंतर्गत श्री विधि से धान प्रत्यक्षण में सिवान जिला की उपलब्धि सबसे दयनीय (3 प्रतिशत) है, जबकि केन्द्र प्रायोजित योजना में अवशेष राशि से व्यय करने का निदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है। इसमें प्रगति करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान)

5.2 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को गैर–प्रत्यक्षण मद में श्री विधि से धान की खेती का कितना रकवा आच्छादित है, इसका आँकड़ा एकत्रित कर मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया?

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5.3 जिरोटिलेज/सीड–ड्रील से धान की सीधी बुआई अंतर्गत सिवान एवं पूर्णिया की स्थिति सबसे दयनीय पायी गई। इसमें प्रगति करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान एवं पूर्णिया)

5.4 पैडीट्रान्सप्लान्टर से धान की खेती के प्रत्यक्षण में दरभंगा की उपलब्धि शून्य है। जबकि गोपालगंज में मात्र 13 प्रतिशत उपलब्धि हुई है। इस दिशा में शीघ्र उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

5.5 तनावरोधी धान प्रभेद के प्रत्यक्षण में सिवान की स्थिति सबसे दयनीय तथा सुपौल एवं पूर्णिया की उपलब्धि असंतोषजनक पाई गयी। फसल पद्धति आधारित श्री विधि धान प्रत्यक्षण में पूर्णिया की उपलब्धि शून्य है, जबकि सिवान की उपलब्धि अभी तक मात्र 12 प्रतिशत है। लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त करने हेतु सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

5.6 एन0जी0ओ0/संस्थान द्वारा सीड–ड्रील मशीन से धान की सीधी बुआई प्रत्यक्षण में दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, कटिहार एवं सिवान की उपलब्धि शून्य है। संकर धान बीज

वितरण में सितामढ़ी, पूर्णिया एवं कटिहार में उपलब्धि शून्य है। चावल योजना अंतर्गत कुल उपलब्धि में सिवान, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, अररिया एवं गोपालगंज की उपलब्धि काफी कम है सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिय गया।

5.7 मक्का फसल प्रत्यक्षण में भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं वैशाली से प्रतिवेदन अप्राप्त है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलम्ब अद्यतन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

5.8 अंतरवर्ती फसल प्रत्यक्षण (संकर मक्का+मूंग) में भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली में उपलब्धि शून्य है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनु0– कंडिका 5.4 से 5.8– संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

5.9 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रपत्र 42ए0 में बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग को भेजने का निदेश दिया गया ताकि इसे महालेखाकार को भेजकर ससमय समायोजन कराया जा सके।

6. <u>धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना</u> :–

इस योजना अंतर्गत अधिकांश जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन गुगल डॉक पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

7. <u>कृषि यांत्रिकीकरण</u> :–

7.1 राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण द्वारा बताया गया कि माननीय मंत्री, कृषि का आदेश प्राप्त हुआ है कि जिला में लगने वाले कृषि यांत्रिकीकरण मेला में कृषि विभाग के सभी संभाग यथा–बामेति, उद्यान, भूमि संरक्षण, पौधा संरक्षण, मिट्टी नमूना जॉच, माप–तौल इत्यादि का स्टॉल लगाया जाय तथा मेला का विडियोंग्राफी अनिवार्य रूप से कराया जाय। इस वर्ष प्रति यांत्रिकीकरण मेला का दर 50,000 रूपया से बढ़ाकर 1,00,000 रू0 करने का निर्णय लिया गया है।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

7.2 कस्टम हायरिंग हेतु दस लाख रूपया के कृषि यंत्र बैंक में छोटे ट्रैक्टर (25एच.पी.) को शामिल करने का प्रस्ताव उपस्थापित है।

7.3 कृषि कल्याण अभियान योजनान्तर्गत राज्य के 13 जिलों के चयनित प्रखण्डों में कृषि यंत्र का वितरण भारत सरकार के निदेश के अनुसार जुलाई माह में किया जाना है। अररिया एवं बेगुसराय जिलों से लाभुकों की सूची अभी तक अप्राप्त है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 16.07.2018 तक लाभान्वितों की सूची उपलब्ध करा दी जाय। सूचित किया गया कि एस0एल0ई0सी0 की बैठक के बाद इस योजना का कार्यान्वयन अनुदेश उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7.4 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना एवं कम्बाईन हार्वेस्ट के क्रय हेतु बैंकों में ऋण स्वीकृति की स्थिति के सम्बंध में दो विहित प्रपत्र में अद्यतन प्रतिवेदन रोहतास को छोड़कर सभी जिलों से अप्राप्त है। शेष जिला कृषि पदाधिकारियों को इसे शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

7.5 कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत वर्ष 2014–15 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बाँका, भोजपुर, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर एवं नवादा से तथा वर्ष 2016–17 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र औरंगाबाद,